FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रतन लाल वगै0 **बनाम कजोड मल** वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर–02 सन्– 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.7.2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण को बार–2 आवाज दिलवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। राजकीय अधिवक्ता को एकतरफा सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्व में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 उनवानी फैलीराम बनाम रतन लाल वगै0 प्रकरण संख्या 32/2001 विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.01.2003 के द्वारा गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी कजोड पुत्र नानगा जाति बैरवा निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान को दिनांक 01.06.1989 को ग्राम बासना स्थित आराजी खसरा नंबर 1302 रकबा 0.75है. एवं खसरा नंबर 1305 रकबा 0.39 है. कुल रकबा 1.14है. का आवंटन आदेश बहाल रखा गया है। अन्य प्रार्थीगण द्वारा उसी आवंटन आदेश एवं उसी खसरा नंबर की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1989 को इस प्रार्थना पत्र 4(4) आवंटन नियम 1970 कगे माध्यम से पुनः चुनौती दी गई है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि एक बार न्यायालय से जिस आवंटन आदेश का गुणावगुण के आधार पर निर्णय को पारित कर दिया गया है, उसे पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.1.2003 का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 32/2001 उनवानी रामसहाय बनाम कजोड वगै0 का दिनांक 23.1.2003 को निर्णय जो कि मैरिट के आधार पर निस्तारण किया गया है, के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जाकर आवंटी कजोड पुत्र नानगा बैरवा को ग्राम बासना के खसरा नंबर 1302 रकबा 0.75है. एवं खसरा नंबर 1305 रकबा 0.39 है. कुल रकबा 1.14है. का किया गया आवंटन बहाल रखा गया है। एक बार न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है, उसे कानूनन पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत हैं कि प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official